बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक–01 / निगम–09–09 / 2024 / 1036

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

पटना, दिनांक– 20/02/2026

विषय– वित्तीय वर्ष 2025–26 में PM e-Bus सेवा योजना अंतर्गत Depot Infrastructure Develoment के निर्माण हेतु कुल 62,83,00,000 / –(बासठ करोड़ तेरासी लाख रूपये) मात्र की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में PM e-Bus सेवा योजना अंतर्गत Depot Infrastructure Develoment के निर्माण हेतु राज्यांश मद के अंतर्गत 07.48 रूपये के अतिरिक्त वृद्धि के साथ कुल 62,83,00,000 / –(बासठ करोड़ तेरासी लाख रूपये) मात्र की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित PM e-Bus सेवा योजना के अंतर्गत बिहार के प्रमुख छः शहरों यथा–पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं पूर्णियाँ में Depot Infrastructure Develoment के निर्माण हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन कुल 55.35 (पचपन करोड़ पैतीस लाख रूपये) करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–403, दिनांक–19.09.2025 द्वारा प्रदान की गयी है, जिसमें 60% केन्द्रांश की राशि के अन्तर्गत कुल 33,21,00,000 / –(तैतीस करोड़ इक्कीस लाख रूपये) एवं 40% राज्यांश के अन्तर्गत कुल राशि 22,14,00,000 / – (बाईस करोड़ चौदह लाख रूपये) का व्यय किया जाना है।

3. पी0एम0 ई–बस सेवा योजना अंतर्गत बस डिपो डेवलपमेंट सहित अन्य योजनाओं पर लोक वित्त समिति के माध्यम से दिनांक–12.07.2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–9040, दिनांक–18.07.2024 द्वारा कुल 1032.81 करोड़ रूपये के व्यय हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बस डिपो डेवलपमेंट केन्द्रांश के रूप में 48.00 करोड़ रूपये एवं राज्यांश के रूप में 32.00 करोड़ रूपये सहित कुल 80.00 करोड़ रूपये के व्यय की स्वीकृति प्राप्त है साथ ही राज्यांश की राशि में बढ़ोतरी होने की स्थिति में मंत्री, परिवहन विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर योजना को क्रियान्वित करने एवं अलग से मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अपेक्षित नहीं होने का उल्लेख है।

4. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा State Level Steering Committee की दिनांक–22.04.2025 को आयोजित बैठक में PM e-Bus सेवा योजना अन्तर्गत की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना, से प्राप्त प्राक्कलन की राशि 62,83,00,000 / –(बासठ करोड़ तेरासी लाख रूपये) पर संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में नियमानुसार शीघ्र कार्य किया जा सके।

5. इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में दिनांक–29.12.2025 को आहूत विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में राज्यांश मद के अंतर्गत 07.48 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वृद्धि के साथ कुल 62,83,00,000 / –(बासठ करोड़ तेरासी लाख) रूपये को संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने की अनुशंसा की गई।

6. उक्त राशि मांग संख्या–47 के राज्यांश मद के बजट शीर्ष 47–3055001900301 इकाइ '31–05' सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से अतिरिक्त राज्यांश की राशि 07.48

करोड़ रूपये में प्राप्त कर नियमानुसार BUS depot Development हेतु निर्माण एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा व्यय किया जाएगा।

7. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत्यादेश संख्या–शून्य, दिनांक–11.10.2024 में दिये गये दिशा निर्देश की कंडिका–03 से आच्छादित होगी।

8. उक्त राशि के व्यय से संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा।

9. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–7134, दिनांक–30.08.2019 में एवं समय समय पर वित्त विभाग एवं विभागीय अनुदेश द्वारा इस संबंध में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार राशि की निकासी की जाएगी।

10. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक–7355/बि0(2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

20/02/2026
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1936 पटना, दिनांक– 20/02/2026

प्रतिलिपि– प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), नई दिल्ली/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2026
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1936 पटना, दिनांक– 20/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/The Pay & Account Officer(Sectt.) Ministry of Housing & Urban Affairs, निर्माण भवन, नई दिल्ली/श्री कृत्यानंद रंजन, अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/लेखा–शाखा (दो प्रतियों में), परिवहन विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2026
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1936 पटना, दिनांक– 20/02/2026

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2026
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।